प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बावन' प्रश्न सं. [क. 1553]

[20/3/2018]

RB106 1

विषय:-विधान समा 1553 के सम्बंध में।

[D	विषयातेगत विद्यालयों की जानकारी	निम्नानसार पस्तत है_		
नाम	म नवन का स्थित	हैण्डओवर नहीं होने क	। शिक्षण कक्षों व स्थिति	ी रिमार्क
शा.ज.मा.वि. कन्या पतुलखी	बी.आर.जी.एफ. (जिला पंचायत) मत से वर्ष 2007—8 में स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण भवन हैण्डओवर हो चुक	द निरंक	कक्षा 9 से 1 तक कुल दर्ज 9	7 उपलब्ध
शा.ज.मा.वि. बालक पतुलखी	राज्य बजट (लोक शिक्षण के प्रत्र क्रमांक/भवन/बी/60/08/090 भोपाल दिनांक 26.04.2008 द्वारा शा. उ.मा.वि. तरका को स्वीकृत किया गया। लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कलेक्टर जिला सीधी ने पत्र क्रमांक 3215 दिनांक 28.05. 2008 द्वारा तरका के स्थान पर बालक पतुलखी में भवन बनाये जाने	मवन का फर्स दूटा फूटा / खराब होने एवं निर्माण एजेन्सी ए.के.व्ही. एन. द्वारा ताला चामी नहीं देने के कारण हैण्डओवर नहीं हुआ।	तक कुल दर 312 छात्र/छात्रा	2 विधिवत र्न हैण्डओवर
शा.बालक उ.मा. वि. हिनौती	का अनुमति दी।	बी.आर.जी.एफ. (जिला पंचायत) मद से वर्ष 2007-8 में स्वीकृत निर्माण कार्य फर्स टूटा एवं खिडकी दरवाजे छतिग्रस्त होने के कारण निर्माण एजेन्सी ए.के.व्ही. एन. द्वारा भवन हैण्डओवर नहीं किया	तक कुल दर्ज	के मान से
शा.उ.मा.वि. कन्या हिनौती	निमार्ण कार्य कलेक्टर सीधी द्वारा पी. डब्लू डी. को सौपा गया। भूमि में	होने के कारण एवं 2 कक्ष अपूर्ण होने के कारण हैण्डओवर नही हुआ।	कक्षा 9 से 12 तक कुल दर्ज 460 छात्रायें। शिक्षण कक्ष — 11 कमरे एवं 02 बरामदा।	सत्र से पूर्ण हुये 2 कक्ष का उपयोग

्री जिला शिक्षा अधिकारी जिला—सीघी (म०प्र०)

